सत्यमेव जयते
भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS
नौवहन महानिदेशालय, मुंबई
DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING, MUMBAI

फा.सं. राभा-4(3)/2024 दिनांक: 30/01/2026

सेवा में,

नौवहन महानिदेशालय एवं अधीनस्थ तथा संबंद्ध कार्यालयों के सभी अधिकारी एवं सभी अनुभाग ।
(ई-मेल के माध्यम से)

विषय : राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त ।

महोदय,

नौवहन महानिदेशक महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 05.01.2026 (गुरुवार) 03.30 बजे अपराह्न को माइक्रोसॉफ्ट टीम मीडिया के माध्यम से आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के कार्यवृत्त की संलग्न प्रति भिजवाई जा रही है। बैठक में लिए गए निर्णयों पर कार्रवाई करें एवं की गई कार्रवाई की सूचना यथाशीघ्र hindi-dgs@nic.in ई-मेल के माध्यम से राजभाषा अनुभाग को भिजवा दें।

भवदीय,

30.01.2026

(विमलेन्द्र पाल सिंह भदौरिया)
उप निदेशक (राभा)

संलग्नक : यथोक्त

9वीं मंज़िल, बीटा बिल्डिंग, आई थिंक टेक्नो कैम्पस, कांजुर गाँव रोड, कांजुरमार्ग (पूर्व) मुंबई- 400042
9th Floor, BETA Building, I-Think Techno Campus, Kanjur Village Road, Kanjurmarg (E), Mumbai-400042
फ़ोन/Tel No.: +91-22-2575 2040/1/2/3 फैक्स/Fax.: +91-22-2575 2029/35. ई-मेल/Email: dgship-dgs@nic.in वेबसाइट/Website: www.dgshipping.gov.in

<u>नौवहन महानिदेशालय, भारत सरकार, मुंबई में दिनांक 05.01.2026 सोमवार 03.00 बजे अपराह्न को सम्पन्न हुई राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।</u>

नौवहन महानिदेशालय में संघ की राजभाषा नीति से संबंधित 30.09.2025 को समाप्त तिमाही संबंधी प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 05.01.2025 सोमवार 03.00 बजे अपराह्न को नौवहन महानिदेशक महोदय की अध्यक्षता में माइक्रोसॉफ्ट टीम मीडिया के माध्यम से वर्चुअल/आभासी रूप में संपन्न हुई। भाग लेने वाले अधिकारियों की सूची अनुलग्नक-I के रूप में संलग्न है।

1. **<u>तिमाही प्रगति रिपोर्ट समय पर भेजा जाना:</u>**

नौमनि के विभिन्न अनुभागों और संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों से तिमाही रिपोर्टों की प्राप्ति में विलंब होने के कारण तिमाही रिपोर्टों के संकलन और तत्पश्चात मंत्रालय को रिपोर्ट भिजवाने में विलंब हो जाता है अतएव प्रत्येक तिमाही समाप्त होने के बाद 5 तारीख तक रिपोर्ट अवश्य भिजवा दिया करें ।

<u>(कार्रवाई: निदेशालय के सभी अधिकारी</u>

2. <u>राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागज़ात:</u>

तिमाही रिपोर्ट में दर्शाए गए आंकड़ों के अनुसार धारा 3(3) से संबंधित अनुपालन पर संतोष जताते हुए कहा गया कि द्विभाषिक सामग्री का समुचित रिकॉर्ड रखा जाए ताकि निरीक्षण के समय सत्यापित किया जा सके और इस द्विभाषिक सामग्री को संबंधित हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी द्वारा यथासमय वैबसाइट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित किया जाए।

<u>(कार्रवाई: निदेशालय के सभी अधिकारी)</u>

3. <u>हिंदी पत्रों के उत्तर हिंदी में दिया जाना:</u>

तिमाही रिपोर्ट की समीक्षा के दौरान राजभाषा नियम, 05 के अनुपालन पर संतोष जताया गया और सभी अधिकारियों से इस बात पर विशेष ध्यान देने हेतु कहा कि राजभाषा नियम 5 के अंतर्गत प्राप्त हिंदी पत्रों के उत्तर राजभाषा नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार अनिवार्यत: हिंदी में ही दिए जाएं और इस संबंध में समुचित रिकॉर्ड रखा जाए जिससे कि राजभाषा नियम 5 का निरंतर अनुपालन सुनिश्चित हो सके और निरीक्षण के समय इनका यथोचित रूप से सत्यापन हो सके।

<u>(कार्रवाई: निदेशालय के सभी अधिकारी)</u>

<u>4. अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिया जाना (क और ख क्षेत्र):</u>

संघ की राजभाषा नीति के अनुसरण में अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अधिकाधिक हिंदी में दिए जाने और सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने हेतु राजभाषा के नियमानुसार एवं संसदीय राजभाषा समिति के निदेशानुसार अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर मूल रूप से हिंदी में दिए जाएं। पत्रों पर हिंदी की कवरिंग न लगाएं। कवरिंग लगे हुए पत्रों को हिंदी की पत्रों में गणना नहीं की जाएगी।

<u>(कार्रवाई: निदेशालय के सभी अधिकारी)</u>

5. <u>भेजे गए मूल पत्रों का ब्यौरा:</u>

वार्षिक कार्यक्रम में तय किए गए लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए मूल पत्राचार संबंधी समीक्षा के दौरान अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया कि मूल पत्राचार यथासंभव हिंदी में ही किया जाए तथा प्रयास रहे कि संघ की राजभाषा नीति के प्रावधानों के अनुसार अधिक से अधिक सरकारी कामकाज हिंदी में ही किया जाए और राजभाषा विभाग द्वारा तय किए गए लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम किया जाए। जिन कार्यालयों और अनुभागों का प्रतिशत कम है पाएं उन्हें पत्र लिखकर सूचित करें और मूल पत्र को हिंदी में अधिक से अधिक लिखने को प्रोत्साहित करें।

(कार्रवाई: निदेशालय के सभी अधिकारी)

6. **फाइलों पर हिंदी में टिप्पणी:**

वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार क्षेत्रवार लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए कार्यालयी टिप्पणियां हिंदी में लिखे जाने को बढ़ावा देने की दिशा में नौमनि के समस्त कंप्यूटरों को यूनिकोड सक्षम बनाया गया जिनके माध्यम से हिंदी में कार्य किया जाना आसान है और यदि किसी को हिंदी टाइपिंग नहीं आती तो उसके लिए कंप्यूटर पर फोनेटिक टाइपराइटिंग के अंग्रेजी की बोर्ड के माध्यम से ही हिंदी टाइप करने की सुविधा उपलब्ध है। राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार टिप्पणियों के प्रतिशत का लक्ष्य 55% है। इस लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए अध्यक्ष महोदय ने अनुभागों में कार्य कर रहें संविदागत कर्मियों को भी अधिक से अधिक हिंदी में टिप्प्णी लिखने को प्रोत्साहित किया और भविष्य में डीईओ की नियुक्ति हेतु अंग्रेजी के साथ- साथ हिंदी भाषा का ज्ञान रखने वाले कर्मियों की नियुक्ति की जाय।

(कार्रवाई: निदेशालय के सभी अधिकारी)

7. **राजभाषा अनुभाग के पदों का भरा जाना:**

i) रिक्त पड़े पदों के संबंध में समीक्षा के दौरान राजभाषा अनुभाग के 3 अवर श्रेणी लिपिकों और 2 प्रवर श्रेणी लिपिकों के पदों को भरे जाने के लिए शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। इस संबंध में उपनौमनि प्रशासन को 02 डीईओ की नियुक्ति हेतु पत्र लिखकर सूचित किया जाय।

ii) निदेशालय तथा निदेशालय के संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में रिक्त पड़े कनिष्ठ अनुवाद अधिकारियों के पदों को भरे जाने संबंधी कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में नौमनि महोदय ने आदेश दिया कि निदेशालय के अधीनस्थ कार्यालयों में अनुवादकों के रिक्त पड़े पदों संबंधी आकड़े लिए जाएं और तदनुसार पदों को भरने हेतु कार्रवाई किया जाय।

(कार्रवाई: उप निदेशक (राभा), उप नौवहन महानिदेशक (प्रशासन)

8. राजभाषा कार्यान्वयन समिति का पुनर्गठनः

राजभाषा कार्यान्वयन समिति के पुनर्गठन की आवश्यकता को समझते हुए कहा गया कि नौमनि के सभी आकड़े लिए जाने वाले अनुभागों और अधीनस्थ कार्यालयों की पुनः समीक्षा की गई और तद्नुसार पुनर्गठन किया गया। जिसमें निदेशालय के एमटीटी अनुभाग और अधीनस्थ कार्यालय नाविक कल्याण निधि सोसायटी, मुंबई और नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई कार्यालय को शामिल नहीं किया गया। इसी प्रकार

निदेशालय के आई-टी और ई गवर्नेंस अनुभाग तथा समन्वय अनुभाग के अंतर्गत हेल्पडेस्क, सीपीग्राम, पब्विक ग्रीवांस को शामिल किया गया। इस संबंध में पत्र संबंधित कार्यालय और अनुभागों को जारी किया जाए।

(कार्रवाई: उप निदेशक (राभा))

कोई अन्य मद न होने के कारण अपर नौमनि महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक संपन्न हुई।

अनुलग्नक –I

नौवहन महानिदेशालय, भारत सरकार, मुंबई में दिनांक 05.01.2026 सोमवार 03.00 बजे अपराह्न को सम्पन्न हुई राजभाषा कार्यान्वयन समिति की विस्तृत समीक्षा बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूचीः-

क्र.सं.	नाम एवं पदनाम	कार्यालय का नाम	
1.	श्री श्याम जगन्नाथन, भाप्रसे, नौवहन महानिदेशक एवं अपर सचिव,भारत सरकार	नौवहन महानिदेशालय, मुंबई	अध्यक्ष
2.	श्री सुशील मानसिंह खोपड़े, अपर नौवहन महानिदेशक भा.पु,से,	नौवहन महानिदेशालय, मुंबई	सदस्य
3.	डॉ सुधीर एस कोहकड़े, उप नौवहन महानिदेशक	नौवहन महानिदेशालय, मुंबई	सदस्य
4.	श्री दीपेन्द्र सिंह बिसेन, उप नौवहन महानिदेशक	नौवहन महानिदेशालय, मुंबई	सदस्य
5.	श्री मोहित बहल, उप नॉटिकल सलाहकार-सह-वरिष्ठ उप महानिदेशक (तकनीकी)	समुद्री वाणिज्य विभाग, जामनगर	सदस्य
6.	श्री राजेश एच मेंढे, निदेशक	नाविक रोजगार कार्यालय, मुंबई	सदस्य
7.	श्री विनीश वर्मा, उप निदेशक	नाविक रोजगार कार्यालय, मुंबई	सदस्य
8.	गौरी लाल मीणा, प्रभारी सर्वेक्षक	समुद्री वाणिज्य विभाग, मुंबई	
9.	श्री बोधराज, प्रभारी सर्वेक्षक	समुद्री वाणिज्य विभाग, न्यु मंगलौर	सदस्य
10.	श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव, प्रभारी सर्वेक्षक	समुद्री वाणिज्य विभाग, गोवा	सदस्य
11.	श्री मुकुल दत्ता, नाविक पाल	सरकारी नौवहन कार्यालय, मुंबई	सदस्य
12.	श्री अरविंद कुमार चौधरी, प्रभारी सर्वेक्षक एवं उपमहानिदेशक (तकनीकी)	समुद्री वाणिज्य विभाग, विशाखापट्टनम	सदस्य

13.	श्री पूरनचंद माझी, इंजीनियर एवं पोत सर्वेक्षक (प्रभारी सर्वेक्षक)	समुद्री वाणिज्य विभाग, पारादीप	सदस्य
14.	श्री राजेश एच मेंढे, निदेशक	नाविक रोजगार कार्यालय, कोलकाता	सदस्य
15.	श्री राजेश एच मेंढे, निदेशक	सरकारी नौवहन कार्यालय, कोलकाता	सदस्य
16.	श्रीमती रितू सिंह, क.अ.अ	समुद्री वाणिज्य विभाग, कोलकाता	सदस्य
17.	श्री विनीष चन्द्र वर्मा, राजभाषा अधिकारी	समुद्री वाणिज्य विभाग, चेन्नई	सदस्य
18.	श्री आर आर सुब्बाराव, प्रभारी सर्वेक्षक	समुद्री वाणिज्य विभाग, तूतिकोरिन	
19.	श्री उबैदू रहमान, प्रभारी सर्वेक्षक	समुद्री वाणिज्य विभाग, न्यू मंगलौर	सदस्य
20.	श्रीमती सुजाता यादव, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	नौवहन महानिदेशालय, मुंबई	सदस्य
21.	सुश्री तेजस्विनी पवार, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	नौवहन महानिदेशालय, मुंबई	सदस्य
22.	श्री संजीव कुमार, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	नौवहन महानिदेशालय, मुंबई	सदस्य